

## क्या मुझे पुलिस के सवालों का जवाब देना है?

अगर आपको पुलिस द्वारा रोका जाता है और पूछताछ की जाती है, या किसी विरोध प्रदर्शन में आपसे बातचीत की जाती है, तो आपको तब तक जवाब देने का अधिकार **नहीं** है, जब तक कि आप 'असामाजिक' व्यवहार (जो 'उत्पीड़न, चेतावनी या संकट') में शामिल न हों। आपको पुलिस को झूठी सूचना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह एक आपराधिक अपराध है। आपकी तलाशी या गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने कानूनी तौर पर पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।

## क्या मुझे विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है?

हां। विरोध प्रदर्शन करने का आपका अधिकार मानवाधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित है और पुलिस इसे सिर्फ आनुपातिक तरीके से और खास उद्देश्यों (जैसे अपराध या अशांति को रोकने) के लिए कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर सकती है।

किसी विरोध प्रदर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी और गाइडेंस के लिए, किसी विरोध प्रदर्शन को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस के अधिकार, और गिरफ्तार होने पर आपके अधिकारों के लिए, [libertyhumanrights.org.uk/advice-and-information](https://libertyhumanrights.org.uk/advice-and-information) पर जाएं और 'विरोध' विषय का चयन करें या QR कोड का उपयोग करें।

**LIBERTY**



migrants  
organise



यह जानकारी 3 मार्च 2022 तक सही थी।

## गिरफ्तार किए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए?

गिरफ्तार करने से पहले, पुलिस को यह बताना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो सभी प्रश्नों के लिए **“NO COMMENT”** (कोई टिप्पणी नहीं) करें और कानूनी सलाह प्राप्त होने तक चेतावनी को स्वीकार न करें। विरोध प्रदर्शन कानून में विशेषज्ञता रखने वाले वकील से सलाह लें (नीचे देखें)। आपको इसका अधिकार है:

- किसी को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताने का अधिकार है
- अगर अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है, तो आपको एक दुभाषिया रखने का अधिकार है
- 18 वर्ष से कम उम्र होने पर आप अपने साथ वयस्क व्यक्ति रख सकते हैं।

गिरफ्तार होने पर आपको कानूनी तौर पर अपनी राष्ट्रियता या आप्रवास स्थिति साझा करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि यदि उन्हें संदेह है कि आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो पुलिस इसकी जांच कर सकती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी के परिणामों के बारे में गाइडेंस के लिए इस लिंक पर जाएं: [jcw.org.uk/immigration-advice-for-protestors](http://jcw.org.uk/immigration-advice-for-protestors)

## 24 घंटे मुफ्त सलाह और कानूनी पर्यवेक्षकों की पेशकश करने वाले सॉलिसिटर:

**ITN SOLICITORS** 020 3909 8100

**HODGE JONES & ALLEN** 0844 848 0222

**KELLYS** 01273 674 898 / 0800 387 463

**COMMONS** 020 3865 5403

**BINDMANS** 020 7305 5638

**MTC** 07956 308 127

**BPLS** @blkprotestlegal / blackprotestlegal@protonmail.com

**GBC** @GBCLegal / 07946 541 511 / courtsupport@protonmail.com